



UPGK010101062026

न्यायालय: जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।

सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या-222/2026

मारकण्डेय बनाम गोरख यादव आदि

दिनांक: 10.07.2026

यह अन्तरण प्रार्थना-पत्र 4 ग सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा- 24 के अन्तर्गत आवेदक की ओर से इजरा वाद सं०-20/2016 नवीन्द्र कुमार बनाम बाबूलाल आदि तथा प्रकीर्ण वाद सं०-327/2025 शारदा देवी बनाम नवीन्द्र कुमार की पत्रावलियां, जो प्रशासनिक आदेश से भिन्न-भिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है, को प्रार्थना-पत्र में वर्णित आधारों पर किसी एक न्यायालय में अन्तरित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अन्तरण प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित न्यायालयों से आख्या आहूत की गयी। न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), गोरखपुर के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या के अनुसार प्रकीर्ण वाद सं०-327/2025 शारदा देवी बनाम नवीन्द्र कुमार की पत्रावली उनके न्यायालय में विचारण हेतु लम्बित है।

अन्तरण प्रार्थना-पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 4 ग स्वीकार किया जाता है। प्रकीर्ण वाद सं०-327/2025 शारदा देवी बनाम नवीन्द्र कुमार की पत्रावली को सिविल जज (जू०डि०), गोरखपुर के न्यायालय से वापस लेकर विधि अनुसार निस्तारण हेतु अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट सं०-3, गोरखपुर के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

(राज कुमार सिंह)

जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।

J.O. Code-UP01889